

ક.રા.બી.નિ ફોસ્પિટલ, અંકલેશ્વર, પ્લોટ નં.H3012, 500 કવાતર પાસે, અંકલેશ્વર, જિ. ભરૂચ क.रा.बो. निगम अस्पताल, प्लाट स. H3012, 500 क्वाटर के पास, अकलेक्षर, जो.भरूच ESIC Hospital, Plot No. H3012, Nr. 500 Quarters, Ankleshwar, Dist. Bharuch Website : www.esic.gov.in

ई फ़ाइल संख्या: 95638 (प्रशासन)

दिनांक : 13-02-2025

<u> परिपत्र / Circular</u>

विषय: ईएसआईसी मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली में विरोध/प्रदर्शन के लिए नोटिस / श्रम शक्ति भवन, श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली तक शांतिपूर्ण मार्च / सामूहिक छुट्टी / अनिश्चितकालीन हड़ताल और देश भर के सभी ईएसआईसी चिकित्सा संस्थानों/ईएसआईसी अस्पतालों में डीसीबीओ सहित 21.02.2025 से प्रभावी।

Subject: Notice for protest/demonstration at ESIC Hqrs Office, New Delhi / a peaceful March to Shram Shakti Bhawan, Ministry of Labour & Employment, New Delhi / Mass CL / Indefinite strike and all ESIC Medical Institutions/ESIC Hospitals including DCBOs across the country w.e.f. 21.02.2025– regarding.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि सभी चिकित्सा अधिकारियों / कर्मचारियों को 21 फरवरी 2025 को किसी भी प्रकार के विरोध या हड़ताल में भाग नहीं लेने का निर्देश दिया जाता है। ऐसी गतिविधियों में भाग लेना सेवा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इस तिथि के लिए कोई भी छुट्टी का आवेदन तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे 12 फरवरी 2025 से पहले प्रस्तुत और स्वीकार नहीं किया गया हो।

On the above-mentioned subject, it is informed that all medical officers / officials are instructed not to participate in any form of protest or strike on 21st February 2025. Participation in such activities will be considered a violation of service regulations. Any leave application for this date will not be approved unless it was submitted and accepted before 12th February 2025.

उपरोक्त नोटिस अनावश्यक और अनुचित है, विशेषकर तब जब इसका तात्पर्य ईएसआईसी लाभार्थियों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के सामान्य निर्वहन में व्यवधान और प्रभाव से है, जो आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आती हैं और यह ईएसएमए अधिनियम, 1981 के प्रावधानों और डीओपीटी और सीसीएस आचरण नियमों के अनुसार अन्य समान प्रावधानों को लागू करता है।

The above notice is uncalled for and unjustified particularly when it has the implication of disruption and affecting normal discharge of health services to ESIC beneficiaries which falls under Essential Services and invokes the provision of ESMA Act, 1981 and other similar provisions as per DoPT and CCS Conduct Rules.

इस निर्देश का पालन न करने पर गंभीरता से लिया जाएगा और आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ईएसएमए) के तहत कार्रवाई की जाएगी। निर्दिष्ट तिथि पर विरोध प्रदर्शन या हड़ताल में भाग लेना, या बिना पूर्व अवकाश स्वीकृति के ड्यूटी पर रिपोर्ट न करना, केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) आचरण नियमों का उल्लंघन माना जाएगा, और सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Any non-compliance with this directive will be treated seriously, and action will be

taken under the Essential Services Maintenance Act (ESMA). Participation in protests or strikes on the specified date, or failure to report for duty without prior leave approval, will be treated as a violation of the Central Civil Services (CCS) Conduct Rules, and strict disciplinary action will follow.

यह पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है / This issues with the approval of Competent authority.

(प्रभात दुआ) <u>सहायक निदेशक-प्रशासन</u>

प्रति / To : सूचना पट्ट / Notice board.